पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 67

पंचायती राज मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		30.60	0.44	31.04	10.00	0.20	10.20	50.00	0.44	50.44
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**30.60**	**0.44**	**31.04**	**10.00**	**0.20**	**10.20**	**50.00**	**0.44**	**50.44**
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं:	3451	...	0.44	0.44	...	0.20	0.20	...	0.44	0.44
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
2. पंचायत विकास और प्रशिक्षण	2515	22.54	...	22.54	6.02	...	6.02	33.00	...	33.00
	3601	5.00	...	5.00	2.98	...	2.98	12.00	...	12.00
	जोड़	*27.54*	*...*	*27.54*	*9.00*	*...*	*9.00*	*45.00*	*...*	*45.00*
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	3.06	...	3.06	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
कुल जोड़		***30.60***	***0.44***	***31.04***	***10.00***	***0.20***	***10.20***	***50.00***	***0.44***	***50.44***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. पंचायत विकास और प्रशिक्षण	12515	27.54	...	27.54	9.00	...	9.00	45.00	...	45.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	3.06	...	3.06	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
जोड़		**30.60**	**...**	**30.60**	**10.00**	**...**	**10.00**	**50.00**	**...**	**50.00**

1. यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. पंचायती राज मंत्रालय का एक प्रमुख कार्य संवैधानिक (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की मानिटरिंग करना तथा इस बात को सुनिश्चित करना है कि राज्य अधिनियमों का अधिनियमन उपर्युक्त दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो। पंचायत विकास तथा प्रशिक्षण योजना का लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, अनुसंधान संबंधी अध्ययनों को वित्तपोषित करना, कार्यशालाओं और गोष्ठियों का संचालन, पीआरआई को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना, पीआरआई के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना है।

पंचायती राज मंत्रालय के सृजन के पश्चात इसने पंचायतीराज के 18 आयामों की पहचान की है और इन आयामों पर वार्ताओं के सात दौरों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श हुआ है और स्व सरकार की सच्ची संस्थाओं के रूप में पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 150 सिफारिशें की गयी हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने हेतु मंत्रालय द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं की केन्द्रीयता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें सिक्किम भी शामिल है, के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था की गई है।